कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmailcom, Ph. No. 2780290 Webdite www.res.uk.gov.in

पत्रांक 1408 /निर्माण–7 / बजट / 2023–24, दिनांक 14 अगस्त, 2023।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड देहरादून / पौडी / नैनीताल / अल्मोड़ा / भिकियासैंण /
उधमसिंहनगर / पिथौरागढ़ / डीडीहाट / चम्पावत / बागेश्वर।

विषयः– विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में स्वीकृत नाबार्ड वित्त पोषित 22 ग्रामीण सड़क योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में धनराशि की स्वीकृति।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 470 / XII-3 / 2023 / 83(04) / 201 दिनांक 04.08.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में स्वीकृत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 52 ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 कुल ₹ 20,00,00,000/– **(रूपये बीस करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या VI के क्रम में कुल 22 योजनाओं की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 7 में उल्लिखित विवरणवार कुल **₹ 10,72,57,800/–** की धनराशि निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847 / XXVII(1) / 2016 दिनांक 26.07.2016 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति / यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविकता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जाय, कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही धनराशि व्यय की जाय। कार्य की लागत से अधिक व्यय सृजित किये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम / प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय / प्रशासनिक और तकनीकी / प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाय।
6. धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है, कि कार्य में सम्बन्धित ठेकेदारों के भुगतान में किसी भी अनियमित्ता न हो। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत पर समक्ष अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
7. आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।

ग्रा० निर्माण विभाग अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट, पिथौरागढ़
पत्रांक 939
दिनांक 25-8

8. आगणनों का पुनः परीक्षण करते हुए उसकी सीमा तक ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। आगणित धनराशि से अधिक व्यय सृजित किये जाने व आगणनों का पुनर्गठित किये जाना गम्भीर लापरवाही मानी जाएगी और अनियमित्ता के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। भूमि मुआवजे का वास्तविक आंकलन करते हुए राजस्व विभाग से सत्यापित कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

9. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1638/XXX-1-12(25)2011, दिनांक 08.12.2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

10. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं– 111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम्य विकास–98–नाबार्ड 01–ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्य –53–वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासनादेश सं–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

14/8/23

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल स्थित भीमताल।
5– अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/नैनीताल/पिथौरागढ़ को इस आशय से कि प्रपत्र बी0एम0–4 पर संकलित व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6– गार्ड फाईल।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

त्र संख्या 1408 / निर्माण–7 / बजट / 2023–24, दिनांक 14 अगस्त, 2023 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	प्रखण्ड का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	स्वीकृत धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
	वित्तीय वर्ष 2021–22					
1	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत जी0आई0सी0मैठानी से थात तराड तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)	भिकियासैण	5.004	324.030	172.999	4.661
2	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत मरचुला देघाट रोड से टुकरा इंजीनियरिंग कालेज तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)	भिकियासैण	2.900	188.890	178.907	9.983
3	जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत सिगलचौरा से जयन्तेश्वर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)	भिकियासैण	1.740	151.890	145.557	6.333
4	विधानसभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मे जूनियर हाईस्कूल से मोहन प्रसाद(एम0पी0) के घर तक मार्ग लम्बाई 1.00 किमी0 का निर्माण कार्य किया जायेगा। (घोषणा सं0 141/2021)	नैनीताल	1.100	109.340	75.194	5.000
5	अल्मोड़ा बागेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के बुलकानी से ग्राम धुरसौ तक मोटर मार्ग का निर्माण। (पुर्नगठन)	अल्मोड़ा	2.600	274.380	169.296	70.000
	योग :–		13.344	1048.530	741.953	95.977
	वित्तीय वर्ष 2022–23					
6	जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ठाकुरपुर झाझरा मोटर मार्ग पर आडवाणी स्कूल से परवल तक मार्ग की मरम्मत एवंसुधार कार्य। (अपग्रेडेशन)	देहरादून	1.900	126.970	35.079	40.000
7	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत वि0ख0 एकेश्वर मे सतपुली रीठाखाल मुख्य मोटर मार्ग के ग्राम सतपुली रीठाखाल मोटर मार्ग के गादई से चमडल तक मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	पौड़ी	1.515	143.670	41.355	33.380
8	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत वि0ख0 एकेश्वर मे सतपुली रीठाखाल मुख्य मोटर मार्ग के कबरा से मोल्ठी बिचली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण । (स्टेज–1)	पौड़ी	3.783	349.710	96.333	90.660
9	जनपद उधमसिंहनगर के वि0ख0 बाजपुर के ग्राम रैहन्टा–सिहाली मार्ग से भीकमपुरी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (अपग्रेडेशन)	उधमसिंहनगर	2.610	234.030	64.155	132.000
10	जनपद उधमसिंहनगर के वि0ख0 रूद्रपुर के अन्तर्गत तहसील के ग्राम प्रतापपुर–नारायणपुर में कच्चे मार्ग का डामरीकरण कार्य। (अपग्रेडेशन)	उधमसिंहनगर	1.475	200.770	54.456	118.200
11	जनपद उधमसिंहनगर के वि0ख0 सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम राजनगर मे मुख्य मार्ग से रवीन्द्र बाईन एवं दिगविजय के घर तक मार्ग का डामरीकरण कार्य। (अपग्रेडेशन)	उधमसिंहनगर	1.015	105.730	28.944	56.200
12	जनपद उधमसिंहनगर के वि0ख0 जसपुर के ग्राम भगवंपुर से जसपुर– पतरामपुर रोड तक लिंक मार्ग का निर्माण। (अपग्रेडेशन)	उधमसिंहनगर	1.050	73.010	20.172	37.820
13	जनपद बागेश्वर के वि0ख0 गरूड के अन्तर्गत पिगलो–सिमखेत मोटर मार्ग के कि0मी0–2 में खारी पुलिया से पिंगलेश्वर शिव मंदिर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	बागेश्वर	1.375	163.880	45.789	35.141
14	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 गंगोलीहाट में चमलेख से कलौन ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	पिथौरागढ	2.000	161.420	39.855	30.000
15	जनपद चम्पावत के वि0ख0 चम्पावत के अन्तर्गत ग्राम बमनपुरी मे श्री प्यारेलाल के घर से कुष्ट आश्रम तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (अपग्रेडेशन)	चम्पावत	1.200	81.720	22.497	26.000
16	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत सानदेव–तुर्गोली मोटर मार्ग मे मुख्य मोटर मार्ग से तल्ला चुपडाखेत तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण।	डीडीहाट	1.200	125.790	33.981	36.020
17	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत नाघर से तवाबगड (हुनेरा) तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण।	डीडीहाट	1.600	139.500	38.901	51.100
18	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत मलान से मितड़ा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण।	डीडीहाट	2.373	243.660	66.801	68.200
19	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ओगला भागीचौरा सडक के कालसिन मोड से मझेड़ा देवल तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण।	डीडीहाट	1.750	181.670	48.260	51.740
20	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत कोटली से अमाली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण।	डीडीहाट	1.911	171.240	48.579	61.420
21	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत देवलथल–बमडोली मोटर मार्ग से ग्राम बनौगाव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	डीडीहाट	2.131	270.950	76.581	53.420
22	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम सिंगाली के पत्थरकोट से ढिगरा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	डीडीहाट	2.375	269.720	74.700	55.300
	योग :–		31.263	3043.440	836.438	976.601
	महायोग :–		44.607	4091.970	1578.391	1072.578

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।